कार्यालय–जिला उद्योग एंव उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र,गौतमबुद्धनगर

जिला उद्योग एंव उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र द्वारा संचालित प्रमुख योजनायें

1– प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP)

यह योजना भारत सरकार द्वारा संचालित की जा रही है। इस योजनान्तर्गत सेवा क्षेत्र की इकाईयों को 10–00 लाख रू0 एंव उद्योग क्षेत्र के अन्तर्गत 25–00 लाख रू0 ऋण दिये जाने का प्राविधान है। शहरी क्षेत्र में सामान्य वर्ग के पुरूष लाभार्थी को 15 प्रतिशत तथा अन्य वर्गो को 25 प्रतिशत अनुदान का प्राविधान है। इसी प्रकार ग्रामीणा क्षेत्र में 25 एंव 35 प्रतिशत अनुदान की व्यवस्था है। योजनान्तर्गत लाभार्थी का चयनभारत सरकार द्वारा गठित जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में टास्क फोर्स समिति द्वारा किया जाता है। गत वर्ष– 2016–17 में 13 लाभार्थियों को रु0 28.70 लाख रूपये की मार्जिन मनी हेतु ऋण वितरण कराकर लाभान्वित कराया गया।(सूची सलंग्न है।)

2– समाजवादी युवा स्वरोजगार योजना(SYSY)

यह योजना प्रदेश सरकार द्वारा गत वर्ष ही संचालित की गयी थी। इस योजनान्तर्गत जनपद के 18 वर्ष से 40 वर्ष की आयु वाले नवयुवको को 25–00 लाख की परियोजना लागत तक ऋण उपलब्ध कराया जाता है तथा उस पर 25 प्रतिशत अनुदान के रूप में उपलब्ध कराने का प्राविधान है। गत वर्ष 2016–17 में जनपद में 18 लाभार्थियों को 23.42 लाख रू0 अनुदान दिये जाने हेतु लाभान्वित कराया गया ।(सूची सलंग्न है।)

3– हस्तशिल्पी योजना

(अ) हस्तशिल्प सर्वे :–

इस योजनान्तर्गत शहरी/ग्रामीण क्षेत्रो में हस्तशिल्पियों की पहचान कर उनके पहचान पत्र बनवाना है। जनपद में सर्वे का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। जनपद में 245 हस्तशिल्पियों को चिन्हित किया गया है जिनमें से 25 हस्तशिल्पियों के पहचान पत्र बनवाये गये है तथा 220 हस्तशिल्पियों के

आवेदन पत्र पहचान पत्र बनवाने हेतु सहायक आयुक्त, हस्तशिल्प, सहारनपुर को अग्रसारित कर दिये गये है। हस्तशिल्प बनवाने का मूल उद्देश्य यह है कि हस्तशिल्पी केन्द्र एंव राज्य सरकार द्वारा चालायी जा रही विभिन्न हस्तशिल्पी योजनाओं का लाभ उठा सके।

(ब) **हस्तशिल्प पेंशन योजनाः–**

इस योजनान्तर्गत 60 वर्ष से अधिक आयु वाले हस्तशिल्पियों को सरकार द्वारा 500/– रू0 प्रतिमाह पेंशन उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान है। जनपद में पात्र 02 हस्तशिल्पियों को उक्त पेंशन का लाभ दिया जा रहा है।(सूची सलंग्न है।)

(स) हस्तशिल्प विपणन सहायता येाजना :–

इस योजनान्तर्गत हस्तशिल्पियों द्वारा प्रदेश में आयोजित मेलो में वर्ष में अधिकतम दो बार भाग लेने पर प्रति मेला 10000/– रू0 की दर से उनके द्वारा किये गये व्यय का अधिकतम 20,000/– का अनुदान दिये जाने का प्राविधान है। गत वर्ष इस योजनान्तर्गत 1–50 लाख रूपये का बजट प्राप्त हुआ था। जिसमें 15 हस्तशिल्पियों को लाभान्वित किया गया।(सूची सलंग्न है।)

4– निर्यातक इकाईयों के लिये अनुदान योजना

(अ) गेटवे पोर्ट योजना (भाडा प्रर्तिपूर्ति योजना)

इस योजनान्तर्गत जनपद की निर्यातक इकाईयों को उनके द्वारा अपने उत्पाद का निर्यात करने पर आईएसडी कन्टेनर डिपो से पोर्ट तक के किराये पर रू0 6000/– प्रति कन्टेनर 20 फुट वाले कन्टेनर पर तथा रू0 12000/– प्रति कन्टेनर 40 फुट कन्टेनर पर अनुदान दिये जाने का प्राविधान है। जो कि वित्तीय वर्ष में अधिकतम रू0 12–00 लाख है। इस योजनान्तर्गत शासन द्वारा निर्धारित जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गठित समिति की संस्तुति के

आधार पर उ0प्र0 निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, लखनऊ द्वारा वितरित किये जाने का प्राविधान किया गया है। गत वर्ष इस योजनान्तर्गत जनपद की 08 इकाईयों 23–38 लाख रूपये का अनुदान उपलब्ध कराया गया।(सूची सलंग्न है।)

(ब) एम0डी0ए0 योजना (Marketing Development Assistannce)

इस योजनान्तर्गत निर्यातक इकाईयों को उनके द्वारा विभिन्न मद जैसे– विदेश में आयोजित मेले में भाग लेना, अपने उत्पाद सैम्पल को विदेश भेजना, प्रचार–प्रसार मद में व्यय करना आदि में 50 से 75 प्रतिशत तक अनुदान दिये जाने का प्राविधान है।

5– जिला उद्योग बन्धु योजना

शासन द्वारा जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में प्रत्येक माह जिला स्तर यह बैठक आयोजित किये जाने का प्राविधान है। इस योजनान्तर्गत उद्यमी अपनी समस्यायें स्वंय से या औद्योगिक संगठनो के माध्यम से प्रस्तुत करते है जिसका निदान जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में आहूत प्रत्येक माह की आयोजित बैंठक में किया जाता है।

6– सिंगल टेबिल योजना

शासन द्वारा इस योजना को प्रभावी करने हेतु एक कामन एप्लीकेशन फार्म निवेश मित्र पोर्टल पर आनलाईन तैयार किया गया है जिसे उद्यमी अपने उद्यम के लिये सम्बन्धित विभागो आवश्यकतानुसार लाईसेंस/अनुमति प्राप्त करने हेतु आवेदन कर सकता है। udyogbandhu.com पर इस सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकता है।

7— तकनीकी उन्नयन योजना

इस योजनान्तर्गत उद्यमियों को उनके द्वारा अपनी इकाई में किये गये तकनीकी अपग्रेडेशन के लिये मशीन क्रय हेतु व्यय की गयी धनराशि का 50 प्रतिशत अथवा रू0 2—00 लाख (अधिकतम) का अनुदान प्राविधान है। गत वर्ष जनपद में 03 इकाईयों को इस योजना से लाभान्वित कराया गया है।(सूची सलंग्न है।)

8— अनुसूचित जाति/जनजाति प्रशिक्षण कार्यक्रम

योजनान्तर्गत प्रत्येक वर्श अनुसूचित जाति/जनपद के 90 लाभार्थियों को विभिन्न विधाओं में उद्यमिता विकास संस्थान द्वारा चार माह का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। प्रशिक्षण के उपरान्त प्रत्येक लाभार्थी को 5000/— रू0 अनुदान के रूप में आनलाईन लाभार्थी के खाते में हस्तान्तरित की जाती है।(सूची सलंग्न है।)